मध्य प्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक एफ 1–27/2013/20–1 भोपाल, दिनांक 30.7.2013

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर, (म.प्र.)
2. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, (म.प्र.)
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, (म.प्र.)
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, (म.प्र.)
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (म.प्र.)
6. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, (म.प्र.)
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, (म.प्र.)

विषय :– नव नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों के निकाय के भीतर पदस्थापना स्थान में परिवर्तन तथा एक निकाय से दूसरे निकाय में श्रेणीवार/आरक्षणवार/विषयवार पद रिक्त होने पर निकाय परिवर्तन के संबंध में।

–00–

मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्ते) नियम 2005 तथा मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्ते) नियम 2005 के नियम–6 उप नियम (9) शीर्ष चयन के मापदण्ड में दर्शाये प्रावधान अनुसार विभाग के परिपत्र क0 एफ 1–1/2012/20–1, दिनांक 27.3.12 से संविदा शाला शिक्षकों के चयन की प्रकिया निर्धारित की गई है।

2/ निकायों में एक ही नाम की एक से अधिक संस्था होने के कारण आवेदकों से संस्था के चयन में त्रुटि होने की स्थिति संज्ञान में आयी है। इसी कारण निकायों में संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति के उपरांत भी बहुत सी संस्थाओं में अभी भी पद रिक्त है।

3/ अतः उपरोक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा जिला/जनपद पंचायत अंतर्गत नियुक्त किए गए संविदा शाला शिक्षक, जिनके द्वारा पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण कर लिया हैं, उन्हें वर्तमान में उपलब्ध रिक्त स्थानों पर स्थान परिवर्तन का केवल एक अवसर निम्नानुसार प्रदान किया जाता है :–

(अ) निकाय के भीतर स्थान परिवर्तन

(1) इस श्रेणी में नियुक्त किए गए ऐसे आवेदक सम्मिलित होंगे जिनके द्वारा पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण कर लिया है।

(2) स्थान परिवर्तन केवल उन्हीं संस्थाओं का मान्य किया जाएगा जहां पर पद रिक्त है एवं यह स्थान एम.पी. ऑनलाइन वेबसाइट पर दर्शाया गया है।

(3) रिक्त स्थान के चयन में एकीकृत सूची के मेरिट कम अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।
(4) स्थान परिवर्तन का केवल एक अवसर दिया जाएगा।
(5) स्थान परिवर्तन में केवल महिलाओं को अवसर प्राप्त होगा।

(ब) एक निकाय से दूसरे निकाय में पद एवं स्थान परिवर्तन

(1) समान श्रेणी (संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1, 2 एवं 3) में समान संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/सामान्य) एवं समान विषय का पद रिक्त होने पर
(2) इस श्रेणी में नियुक्त किए गए ऐसे आवेदक सम्मिलित होंगे जिनके द्वारा पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण कर लिया है।
(3) स्थान एवं पद परिवर्तन केवल उन्हीं संस्थाओं का मान्य किया जाएगा जहां पर पद रिक्त है एवं यह स्थान एम.पी.ऑनलाइन वेबसाइट पर दर्शाया गया है।
(4) रिक्त स्थान के चयन में 2011-12 की पात्रता परीक्षा की एकीकृत सूची के कम अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।
(5) स्थान परिवर्तन का केवल एक अवसर दिया जाएगा।
(6) स्थान परिवर्तन में केवल महिलाओं को अवसर प्राप्त होगा।
(7) एक निकाय से दूसरे निकाय में पद एवं स्थान परिवर्तन की स्थिति में निकाय में पूर्व से पदांकित अंतिम व्यक्ति की वरिष्ठता के नीचे निकाय परिवर्तन करवाने वाली महिला आवेदिका की वरिष्ठता निर्धारित होगी।

4/ निःशक्त आवेदकों को संस्थावार पदस्थापना में पूर्व में ही प्राथमिकता दी गई है। अतः निःशक्त आवेदकों को पदस्थापना परिवर्तन की इस प्रकिया में सम्मिलित नहीं किया गया है।

5/ स्थान परिवर्तन के संबंध में समय सारणी आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र. द्वारा पृथक से जारी की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

30/7/13

(आर.के. चौकसे)
उप सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 कमांक एफ 1–27/2013/20–1 भोपाल, दिनांक 30.7.2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग,मंत्रालय भोपाल
3. सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,मंत्रालय भोपाल
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल
5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र., भोपाल
6. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग म.प्र., भोपाल
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
8. सी0ओ0ओ0 एम0पी0 ऑनलाईन, होशंगाबाद रोड, भोपाल।

30/7/13

उप सचिव

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 1–27 / 2013 / 20–1 भोपाल, दिनांक 1.8.2013

शुद्धि पत्र

विषय :– नव नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों के निकाय के भीतर पदस्थापना स्थान में परिवर्तन तथा एक निकाय से दूसरे निकाय में श्रेणीवार / आरक्षणवार / विषयवार पद रिक्त होने पर निकाय परिवर्तन के संबंध में।

–00–

उपरोक्त विषय में समसंख्य परिपत्र दिनांक 30.7.2013 से जारी निर्देशों में कंडिका–3 (ब) में बिन्दु **"क0–(4) रिक्त स्थान के चयन में 2011–12 की पात्रता परीक्षा की एकीकृत सूची के कम अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।"** के स्थान पर **"क0–(4) रिक्त स्थान के चयन में व्यापम की पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के कम में प्राथमिकता दी जाएगी।"** पढ़ा जाए।

1/8/13

(आर.के.चौकसे)

उप सचिव

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 1–27 / 2013 / 20–1 भोपाल, दिनांक 1.8.2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल
5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल
6. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग म.प्र. भोपाल
7. समस्त जिला कलेक्टर (म.प्र.)
8. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम (म.प्र.)
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (म.प्र.)
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण (म.प्र.)
11. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत (म.प्र.)
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (म.प्र.)
13. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, (म.प्र.)
14. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (म.प्र.)
15. सी0ओ0ओ0 एम0पी0 ऑनलाईन, होशंगाबाद रोड, भोपाल

1/8/13

उप सचिव

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.क./2012–13/1626 भोपाल, दिनांक 1/8/13

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण,
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
5. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,
   मध्यप्रदेश।

विषय– नवनियुक्त महिला संविदा शाला शिक्षकों के निकाय के भीतर पदस्थापना स्थान में परिवर्तन तथा एक निकाय से दूसरे निकाय में श्रेणीवार/आरक्षणवार/विषयवार पद रिक्त होने पर निकाय परिवर्तन के संबंध में।

संदर्भ– म.प्र.शासन का आदेश क्रमांक एफ 1–27/2013/20–1 दिनांक 30.7.2013

संविदा शाला शिक्षकों के प्रथम चरण में नियुक्त एवं पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने वाली महिला संविदा शाला शिक्षकों तथा एक निकाय से दूसरे निकाय में श्रेणीवार/आरक्षणवार/विषयवार पद रिक्त होने पर किसी निकाय विशेष में नियुक्त एवं संस्था में पदभार ग्रहण करने वाली महिला संविदा शाला शिक्षकों को निकाय परिवर्तन की सुविधा केवल एक बार दिये जाने के संबंध में शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ 1–27/2013/20–1 दिनांक 30.7.2013 द्वारा निर्देश प्रसारित किये गये है। शासन निर्देश के अनुक्रम में केवल इच्छुक महिला अभ्यर्थियों के लिए एम.पी.ऑन लाईन के माध्यम से निकाय के भीतर स्थान परिवर्तन तथा श्रेणीवार/आरक्षणवार/ विषयवार पद उपलब्ध होने पर पदस्थापना स्थान परिवर्तन तथा निकाय परिवर्तन की कार्यवाही निम्नलिखित अनुसार तिथियों पर सम्पन्न होगी :–

क्र.	गतिविधि	समयावधि या तिथि	कार्यवाही हेतु सक्षम स्तर
1	जिला/जनपद पंचायत अंतर्गत नियुक्ति उपरांत पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने वाली इच्छुक महिला संविदा शाला शिक्षकों द्वारा निकाय के भीतर उपलब्ध रिक्त स्थानों पर पदांकन स्थल में परिवर्तन के लिए ऑन लाईन संस्थाओं का चयन।	7.8.13 से 10.8.13 रात्रि 11:55 तक	संबंधित इच्छुक महिला संविदा शाला शिक्षक द्वारा
2	जिला/जनपदपंचायत अंतर्गत नियुक्ति उपरांत पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने वाली इच्छुक महिला संविदा शाला शिक्षकों द्वारा अन्य निकायमें समान श्रेणी/आरक्षण/ विषय का पद रिक्त होने पर ऑन लाईन निकाय का चयन।	7.8.13 से 10.8.13 रात्रि 11:55 तक	संबंधित इच्छुक महिला संविदा शाला शिक्षक द्वारा

3	निकाय के भीतर स्थान परिवर्तन तथा एक निकाय से दूसरे निकाय में पात्र संविदा शाला शिक्षक की निकायवार/श्रेणीवार/विषयवार/संस्थावार सूची जारी करना।	23.08.2013	एम.पी.ऑनलाईन द्वारा

2/ एम.पी.ऑन लाईन द्वारा दिनांक 6.8.2013 अपरान्ह 4:00 बजे निकाय में उपलब्ध शेष बचे रिक्त स्थानों की संस्थावार तथा निकाय में रिक्त पदों की श्रेणीवार /आरक्षणवार /विषयवार सूची को एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल पर जारी किया जाएगा।

3/ आवेदिका कंडिका–2 अनुसार दर्शित जानकारी के अनुसार यदि निकाय के भीतर स्थान परिवर्तन के इच्छुक है अथवा अन्य निकाय में श्रेणीवार/आरक्षणवार/विषयवार पद उपलब्ध है तथा वे निकाय परिवर्तन के इच्छुक है तो इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकती है।

4/ इच्छुक नव नियुक्त महिला संविदा शाला शिक्षक उनको आवंटित रोलनंबर, पासवर्ड, रिफरेंस नंबर एवं जन्मतिथि का उपयोग कर इंटरनेट के माध्यम से एम.पी.ऑनलाईन के कियोस्क/स्वंय के द्वारा कंडिका–3 में दर्शित कार्यवाही में कंडिका–2 में दर्शित समय सारणी अनुसार भाग ले सकती है।

(एस.के.पॉल)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां. क्रमांक/शि.क./2012–13/1627
भोपाल, दिनांक 1/8/13

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
4. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल।
5. सी.ओ.ओ., एम.पी.ऑन लाईन, निरूपम बिल्डिंग, होशंगाबाद रोड भोपाल।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश